रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3111] नई दिल्ली, बधुवार, नवम्बर 8, 2017/कार्तिक 17, 1939
No. 3111] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2017/KARTIKA 17, 1939

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2017

का.आ. 3549(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 910 (अ), तारीख 21.04.2010 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के आगरा पर 0.000 कि.मी., आगरा-इंदौर सेक्शन के 103.000 कि.मी. से 610.000 कि.मी. तक का खंड और इंदौर-मुंबई सेक्शन के 0.000 किमी से 12.600 (ग्वालियर- देवास- इंदौर बाइपास होते हुए राऊ सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के 426.100 किमी से 566.450 किमी तक ब्यावरा से देवास खंड (जिसका डिज़ाइन चैनेज 191.200 किमी से 332.460 कि.मी. है) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त खंड कहा गया है) को बीओटी (टोल) के चार लेन मानकों के अनुसार डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तान्तरण (डीबीओएफटी) आधार पर विकास हेतु 22.06.2015 को प्रस्तुत बोली के लिए मैसेर्स ब्यावरा से देवास हाइवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 21/ 48, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मालचा मार्ग, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, नई दिल्ली-110021 है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है), के साथ 27.08.2015 को करार (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त करार" कहा गया है) किया है:

और यतः, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3.12.2010,

सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12. 01.2011, और सा.का.नि. 1756 (अ), तारीख 12 .10.2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 .12.2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 .01.2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 .11.2014, सा.का.नि. 02(अ), तारीख 19 .12.2014 और सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 .03.2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है), द्वारा संशोधित किया गया था के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर उक्त खण्ड के चार अथवा अधिक लेन के उपयोग के लिए सड़क खण्ड की निवल लंबाई 113.3189 किमी और संरचनाओं (60 मी से अधिक लंबाई) जिनकी लंबाई 1.2121 किमी (समकक्ष लंबाई 12.121 किमी) है के उपयोग हेतु सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) के 100% की दर पर और बाइपासों जिनकी लागत दस करोड़ या अधिक है, कुल लंबाई 26.729 कि.मी है के उपयोग के लिए नीचे सारणी-1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, आधार दर के 150% की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त करार के अनुसार, समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा(प्लाजाओं) पर ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
229.900 किमी पर (विद्यमान 465.000 किमी) राजगढ़ जिले में छपरा गाँव के निकट	51.4636 (10 करोड़ से अधिक लागत के बाइपास और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
291.550 किमी पर (विद्यमान 526.480 किमी) उज्जैन जिले में राजवास गाँव के निकट	61.8553 (10 करोड़ से अधिक लागत के बाइपास और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

	को छोड़कर)	
कुल	113.3189	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लंबाई हेतु ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा(प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	डिज़ाइन चैनेज		बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
		पर शुरू होते हुए	पर मिलते हुए		
229.900 किमी पर (विद्यमान 465.000 किमी) राजगढ़ जिले में छपरा गाँव के निकट	सारंगपुर बाइपास	243.050 (विद्यमान 478.250 किमी)	251.250 (विद्यमान 488.500 किमी)	7.920 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
291.550 किमी पर (विद्यमान 526.480 किमी) उज्जैन जिले में राजवास गाँव के निकट	शाजापुर बाइपास	270.000 (विद्यमान 506.550 किमी)	281.400 (विद्यमान 516.300 किमी)	11.328	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
	मक्सी बाइपास	296.550 (विद्यमान 531.650 किमी)	304.100 (विद्यमान 538.150 किमी)	7.481 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
			कुल	26.729	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है,) के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।

229.900 किमी पर (विद्यमान 465.000 किमी) राजगढ़ जिले में छपरा गाँव के निकट	0.6664*	6.664	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
291.550 किमी पर (विद्यमान 526.480 किमी) उज्जैन जिले में राजवास गाँव के निकट	0.5457**	5.457	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
कुल	1.2121	12.121	

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	डिज़ाइन चैनेज आरंभ (किमी पर)	डिज़ाइन चैनेज समाप्त (किमी पर)	संरचना का नाम और प्रकार	कुल लंबाई(किमी में)
	किमी से	किमी तक		
i)	198.504	198.696	बड़ा पुल (6*32)	192.000
ii)	216.378	216.572	बड़ा पुल (8*24*3)	194.400
iii)	250.285	250.565	बड़ा पुल (सारंगपुर बाइपास पर 7*40)	280.000
			संरचना की कुल लंबाई	666.400

**60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	डिज़ाइन चैनेज आरंभ (किमी पर)	डिज़ाइन चैनेज समाप्त (किमी पर)	संरचना का नाम और प्रकार	कुल लंबाई(किमी में)
	किमी से	किमी तक		
i)	256.746	256.808	आर ओ बी (2*31)	62.000
ii)	273.649	273.721	बड़ा पुल (शाजापुर बाइपास पर 3*24)	72.000
iii)	285.925	286.135	बड़ा पुल (6*35)	210.000
iv)	300.898	300.966	आर ओ बी (मक्सी बाइपास पर 18.9+31.0+18.9)	68.800
v)	309.328	309.395	बड़ा पुल (3*22.3)	66.900
vi)	318.644	318.710	बड़ा पुल (2*33)	66.000
			संरचना की कुल लंबाई	545.700

4. स्थानीय निजी यातायात के लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00/- रूपए (दो सौ पैतालीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

IndiaCode

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास अथवा अधिक	संदाय की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे टोल प्लाजा पार करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि, ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न लिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को उस वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार तथा रियायतग्राही के साथ हुए करार के प्रावधान के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार की गयी वृद्धि की तारीख से 6(माह) की अवधि के भीतर कोई संशोधन नही किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/16-17/जीसी- ब्यावरा-देवास सेक्शन बीओटी (टोल)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the, 8th November2017

S.O. 3549(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 910 (E), dated 21.04.2010 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 103.000 to kilometer 610.000 of Agra-Indore section km 0.000 at Agra and from km 0.000 to km 12.600 of Indore-Mumbai section (Gwalior-Dewas-Rau via Indore Bypass section) of National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 27.08.2015 (hereinafter referred to as "said agreement") with M/s Biaora to Dewas Highway Private Limited having its registered office 21/48, Commercial Complex, Malcha Marg, Diplomatic Enclave, New Delhi – 110021 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the bid submitted on 22.06.2015 for the development of Biaora to Dewas Section from km 426.100 to km 566.450 (having design chainage km 191.200 to chainage km 332.460) on National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the "said section") to four lane standards as BOT (Toll) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 1756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 19th December, 2014 & G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four or more lanes of the said section at 100 % of the rates specified in column (2) of Table 1 below (hereinafter referred to as "base rate") for net road section length of 113.3189 km and structures (>60 m length) having length of 1.2121 km (equivalent length of 12.121 km) and at 150% of the base rate specified in column (2) of Table 1 below for the use of bypasses, costing Rupees ten crore or more, having total length of 26.729 km on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza, at the base rate mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 229.900 (existing km 465.000) near Village Chhapra in District Rajgarh	51.4636 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 291.550 (existing km 526.480) near Village Rajwas in District Ujjain	61.8553 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	**113.3189**	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at 150% of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Name of Bypass	Design Chainages		Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
		Taking off at	Merging at		

At km 229.900 (existing km 465.000) near Village Chhapra in District Rajgarh	Sarangpur Bypass	243.050 (existing km 478.250)	251.250 (existing km 488.500)	7.920 (Excluding length of structures >60m length)	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 291.550 (existing km 526.480) near Village Rajwas in District Ujjain	Shajapur Bypass	270.000 (existing km 506.550)	281.400 (existing km 516.300)	11.328	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Maksi Bypass	296.550 (existing km 531.650)	304.100 (existing km 538.150)	7.481 (Excluding length of structures >60m length)	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
			Total	**26.729**	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equipment length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 229.900 (existing km 465.000) near Village Chhapra in District Rajgarh	0.6664*	6.664	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 291.550 (existing km 526.480) near Village Rajwas in District Ujjain	0.5457**	5.457	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	1.2121	12.121	

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Design Chainage (at km)	End Design Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (in mtr.)
(i)	198.504	198.696	Major Bridge (6*32)	192.000
(ii)	216.378	216.572	Major Bridge (8*24*3)	194.400
(iii)	250.285	250.565	Major Bridge (on Sarangpur Bypass 7*40)	280.000
			Total length of structure	**666.400**

** The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Design Chainage (at km)	End Design Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (in mtr.)
(i)	256.746	256.808	ROB (2*31)	62.000
(ii)	273.649	273.721	Major Bridge (on Shajapur Bypass 3*24)	72.000
(iii)	285.925	286.135	Major Bridge (6*35)	210.000
(iv)	300.898	300.966	ROB (on Maksi Bypass 18.9+31.0+18.9)	68.800
(v)	309.328	309.395	Major Bridge (3*22.3)	66.900
(vi)	318.644	318.710	Major Bridge (2*33)	66.000
			Total length of structure	**545.700**

IndiaCode

4. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred and Forty Five Only) for the year 2017-18 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the Rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/CO/16-17/GC-Biaora-Dewas Section BOT (Toll)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.09 19:12:40 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.